

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 19-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019 (MAGHA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2019

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) / डी.डी.पी. / के.एन.एल.—इन्द्री / 2019 / 329.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 203 ग की उप—धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट, नियंत्रित क्षेत्र को लागू की जाने वाली प्रस्तावित अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित इन्द्री शहर, जिला करनाल की नगरपालिका सीमाओं के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना 2031 ए.डी. का प्रकाशन करवाने का प्रस्ताव करते हैं ।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, प्रारूप विकास योजना पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, सिहत जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हिरयाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11—14, सैक्टर 4, पंचकूला, (नगरपालिका सिनित की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हिरयाणा, अर्थात् मुख्य संयोजक योजनाकार (एन.सी.आर.), तीसरी मंजिल, पहला ब्लाक, हुड्डा कोम्पलैक्स, सैक्टर—6, पंचकूला को सम्बोधित करते हुए (नगरपालिका सिनित की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्र के लिए) किसी व्यक्ति से प्रारूप विकास योजना के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

ड्राईंग

- इन्द्री शहर की नरगपालिका सीमाओं के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र के लिए विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (कं) 1299/2006, दिनांक 30 अक्तूबर, 2006, (हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर)/डी.डी.पी./के.एन.एल.—इन्द्री/2008/705, दिनांक 7 मार्च, 2008 द्वारा पहले से प्रकाशित)।
- 2. प्रारुप विकास योजना इन्द्री २०३१ए.डी. ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (के) १५६० / २०१८, दिनांक १२.०९.२०१८.

अनुबन्ध क

इन्द्री शहर, जिला करनाल की नगरपालिका सीमाओं के चारों ओर इन्द्री नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2031ए.डी. पर व्याख्यात्मक टिप्पण।

I परिचय : –

इन्द्री शहर करनाल-लाडवा सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44, दिल्ली— अम्बाला-अमृतसर ग्रांट ट्रंक सड़क करनाल के उत्तर-पूर्व में तथा पश्चिमी यमुना नहर के पूर्व जो सिरसा शाखा का उदगम स्थल है, से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन शीश महल किला जो सुल्तान से सम्बन्ध रखता है तथा जिसके अवशेष आज भी शहर की बाहरी सीमा पर विद्यमान हैं जहां अब नई अनाज मण्डी स्थित है। यहां पर नौलखा बाग के पौधों की नौ लाख किस्में भी देखी जा सकती हैं। यह शहर कुरूक्षेत्र-लाडवा तथा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुख्य यमुना नदी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर बह रही है।

II अवस्थिति और क्षेत्रीय स्थितिः –

इन्द्री शहर करनाल—लाडवा—शाहबाद अनुसूचित सड़क पर स्थित हे जो करनाल से 22 किलोमीटर, लाडवा से 13 किलोमीटर, कुरूक्षेत्र से 15 किलोमीटर तथा यमुनानगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है तथा इन शहरों तथा अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से सड़कों द्वारा भली—भांति जुड़ा हुआ है। यह भौगोलिक रूप से यह $29^0-59'$ उत्तरी अक्षांश तथा $77^0-05'$ पूर्वी देशांतर पर समुद्री तल से औसतन 257 मीटर की उंचाई पर स्थित है। शहर का नगरपालिका क्षेत्र 0.95 वर्ग किलोमीटर अर्थात् 95 हैक्टेयर है।

III भौगोलिक स्थिति:--

इन्द्री शहर पश्चिम में पश्चिमी यमुना नहर, उत्तरी—पूर्व में इन्द्री इस्केप तथा दक्षिण में मुगल कैनाल से घिरा हुआ है। पीने योग्य भूमिगत पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यमुना नहर से पानी भी प्राप्त किया जा सकता है। यह क्षेत्र हल्का बाढ़ ग्रस्त है, परन्तु पिछले 50 वर्षों से यहां पर कोई बाढ़ नहीं आई है।

IV अवसंरचना की उपलब्धता:--

(क) भौतिक अवसंरचनाः--

शहर में एक 132 किलोमीटर विद्युत उपकेन्द्र है तथा विभिन्न श्रेणियों के 13600 विद्युत कनैक्शन है। जन—स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। शहर में सिवरेज की सुविधा है। शहर में एक दूरभाष केन्द्र भी कार्यरत है। ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल को करनाल के साथ समूहीकृत किया जायेगा।

(ख) सामाजिक अवसंरचना:--

शहर में चार नर्सरी / राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं, दो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा एक शहीद उद्यम सिंह राजकीय महाविद्यालय है। यहां पर 24 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20 निजी क्लीनिक जो शहर में सेवाएं दे रहे हैं। शहर में दो राजकीय पशु चिकित्सालय भी है।

V आर्थिक विशेषतायें:--

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तथा इस क्षेत्र में धान, गेहूं और गन्ना आदि मुख्य कृषि उत्पादन है। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादों की थोक—वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करनाल रोड पर लगभग 21.77 हेक्टेयर में एक आधुनिक अनाज मण्डी स्थापित की गई है। यहां पर केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के दो अनाज गोदाम है। शहर में छः बैंकों द्वारा सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही है।

VI जनसंख्या और अनुमानित जनसंख्या:-

शहर की जनसंख्या वर्ष 1961 में 2,846 थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 11,131, वर्ष 2001 में बढ़कर 16862 तथा वर्ष 2011 में बढ़कर 19567 हो गई। 2011—2021 में 110 प्रतिशत की वृद्धि दर से जनसंख्या 41091 तथा 2021—2031 में 110 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से 86291 होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार इन्द्री शहर की जनसंख्या 19567 बनती है जोकि वर्तमान शहर में रहती है तथा इस शहर की आबादी 103.74 हेक्टेयर के घने क्षेत्र में 189 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के घनत्व से रह रही है तथा शेष संभावित जनसंख्या 364 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के घनत्व से 2031 तक 66724 अनुमानित है। 86291 व्यक्तियों की जनसंख्या को समायोजित करने के लिए 2031 ए.डी. तक की प्रस्तावना तैयार की गई है जो नीचे दी गई सारणी अनुसार है।

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशतता में वृद्धि दर
1961	2846	
1971	4630	62.6%
1981	8304	79%
1991	11131	34%
2001	16862	30%
2011	19567	16.04%
2021	41091 *	110%
2031	86291 *	110%

^{*}अनुमानित जनसंख्या

VII वर्तमान परिवहन और संचार नेटवर्क:-

यह शहर करनाल-लाडवा-शाहबाद राज्य राजमार्ग संख्या ७ पर स्थित है तथा विभिन्न शहरों और गांवों से सड़क से भी जुड़ा हुआ है। हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवा सुविधा उपलब्ध है। यह शहर रेल सेवाओं से अब तक नहीं जुड़ा है।

VIII नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा की आवश्यकता:-

योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए तथा लोगों को आधुनिक सुविधायें प्रदान करने तथा अनियमित वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इन्द्री शहर के इर्दिगर्द पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 (1) के अधीन हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)के.एन.एल.(1)/सी.ए./ए/2863, दिनांक 18 सितम्बर, 2006 द्वारा इन्द्री के इर्दिगर्द नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस क्षेत्र का विकास प्रस्ताव 2031 ए.डी. तक तैयार किया गया है।

IX मुख्य भूमि उपयोग प्रस्तावनांए:-

उपरोक्त अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, शहर की वर्ष 2031 ए.डी. तक 86291 की जनसंख्या को समायोजित करने के लिए शहर की योजना बनाई गई है। वर्तमान शहर का विकास मुख्यतः नगरपालिका सीमा के भीतर ही है। वर्तमान वृद्धि दर से सामंजस्य रखने हेतु शहर का प्रस्तावित विकास वर्तमान शहर के विस्तार के रूप में विचारा गया है। सम्पूर्ण विकास योजना को 8 सैक्टरों में विभाजित करने हेतु सम्पूर्ण विकास योजना प्रस्तावित है जिसमें रिहायशी, संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्यिक आदि विभिन्न भूमि उपयोग शामिल हैं। इन भूमि उपयोगों की अवस्थिति वर्तमान साईट कंडीशिसनस भौगोलिक पहलु यातायात के सरल प्रवाह, बाढ़ की स्थिति तथा शहर के भविष्य और वर्तमान जरूरतों के सन्दर्भ में देखते हुए नियत की गई है। नियन्त्रित क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित भूमि उपयोगों का विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

क्रम संख्या	भूमि उपयोग	नगरपालिका की सीमा के भीतर का प्रस्तावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	नियंत्रित क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल क्षेत्र की प्रतिशतता
1.	रिहायशी	100	187	287	40.94
2.	वाणिज्यिक	8	34	42	5.99
3.	औद्योगिक	26	53	79	11.27
4.	परिवहन तथा संचार	6	67	73	10.41
5.	जन–उपयोगितायें	10	6	16	2.28
6.	सार्वजनिक तथा अर्ध—सार्वजनिक उपयोग	1	33	34	4.85
7	खुले स्थान/हरित पट्टी तथा जल निकाय	20	150	170	24.25
	कुल	171	530	701	100

भूमि उपयोगों का वर्णन

1. रिहायशी

रिहायशी क्षेत्र 5 सैक्टरों में विभाजित किया गया है। 19567 जनसंख्या को पहले ही 103.74 हैक्टयर क्षेत्रफल अर्थात् सैक्टर 1, 2, 5, 6 और 7 में समायोजित किया गया है। सैक्टर—1 तथा 2 वर्तमान शहर हैं तथा सैक्टर 5, 6 और 7 नये रिहायशी सैक्टरों के रूप में प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित रिहायशी सैक्टर प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डएबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता रिहायशी सैक्टर में लागू होगी। 2031 ए.डी. तक 66724 व्यक्तियों की जनसंख्या को समायोजित करने के लिए 183.26 हैक्टेयर क्षेत्र को रिहायशी प्रयोजनों के लिए आरिक्षत किया गया है। इस क्षेत्र में सहायक तथा गौण—उपयोग जैसे विद्यालय, दुकानें, स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक स्थल और स्थानीय स्तर के खुले क्षेत्र आदि शामिल होंगे।

- (क) अतिरिक्त जनसंख्या की आवश्यकतानुसार पहले से योजनाबद्ध/विकसित रिहायशी सैक्टरों में अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान किया जायेगा।
- (ख) रिहायशी कालोनी / सैक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी या लागू नीति के अनुसार होगी।
- (ग) रिहायशी कालौनी / सैक्टरों में पार्क / खुले स्थान के लिए न्यूनतम क्षेत्र इस रूप में रखा जायेगा कि यह 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम मानदंडों को पूरा करेंगे।

2. वाणिज्यिक

वर्तमान शहर में वाणिज्यक गतिविधियां मुख्य सड़कों के साथ—साथ बाजार के रूप में है। यद्यपि, रिहायशी सैक्टरों में निवासियों की प्रतिदिन की जरूरतों के लिए पड़ोस खरीदारी के रूप में पर्याप्त प्रावधान होंगे, सैक्टर—5ए में 15.26 हेक्टेयर शहर के मुख्य केन्द्र के लिए ईयरमार्कड है तथा सैक्टर—4 में 5.24 हेक्टेयर तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधि तथा सैक्टर—2 में 21.77 हैक्टेयर भूमि इस सैक्टर में स्थित वर्तमान अनाज मण्डी के विस्तार के लिए ईयरमार्कड है। इस प्रकार, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कुल क्षेत्र 42 हैक्टेयर है।

3. औद्योगिक

हरियाणा सरकार द्वारा इन्द्री को औद्योगिक रूप से पिछड़े खण्ड के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए शहर को औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु सैक्टर—4 में 79 हेक्टेयर का पर्याप्त क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

4. परिवहन तथा संचारः

इन्द्री शहर सम्पूर्ण क्षेत्र से सड़कों द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है। करनाल—लाडवा—शाहबाद राज्य राजमार्ग संख्या—7 शहर में से गुजरता है। यहां से सभी दिशाओं में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निकलते हैं। शहरों की सड़कों पर यातायात का मुख्य भाग करनाल तथा यमुनानगर शहरों के बीच का यातायात है। इसलिए शहर की आन्तरिक सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए तथा शहर से गुजरने वाले यातायात के सुगम प्रवाह के लिए एक परिधीय सड़क (वी—2) शहर के पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित की गई है। सैक्टरों के भीतर सैक्टरों को बांटने वाली सड़कों की वी—3 के रूप में व्यवस्था की गई है, यद्यपि, सैक्टरों के अन्दर निम्न स्तर की सड़के व्यक्तिगत उपयोगों को पहुंच प्रदान करेंगी। विकास योजना में दर्शायी गई विभिन्न सड़कों की चौड़ाई/आरक्षण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्रम संख्या	वर्गीकरण	भूमि आरक्षण
(i)	वी—1 (ए)	30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी सहित विद्यमान सड़कें।
(ii)	वी—1 (बी)	विद्यमान सड़कें जो सिरसा शाखा की हरित पट्टी के साथ 24 मीटर तक चौड़ी की जानी है।
(iii)	वी—2	दोनों तरफ 30 मीटर की हरित पट्टी सहित 45 मीटर चौड़ी पैरीफरल सड़क
(iv)	वी—3	सैक्टरों को विभाजित करने वाली सर्विस रोड के बिना 45 मीटर चौड़ी सड़क

लगभग 17.17 हेक्टेयर क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में सैक्टर—3 में आरक्षित है जोिक अनाज मण्डी तथा औद्योगिक सैक्टर—4 के मध्य उपयुक्त स्थान पर अवस्थित है। भारी वाहन यातायात को वर्तमान शहर से दूर रखने हेतु लगभग 4.32 हेक्टेयर नये बस स्टैण्ड के लिए सैक्टर—4 में चिन्हित है। परिवहन तथा संचार के लिए कुल 73 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है जिसमें सड़कों का क्षेत्र भी शामिल है।

5. जन–उपयोगितायें

वर्तमान में लगभग 1.41 हेक्टेयर का क्षेत्र 132 किलोवाट विद्युत उपकेन्द्र के लिए उपयोग किया जा रहा है जोकि प्रस्तावित सैक्टर—5बी का हिस्सा है तथा सैक्टर—8 में लगभग 1.64 हेक्टेयर क्षेत्र जन—स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित सैक्टर—2 में लगभग 9.98 हेक्टेयर का मलजल शोधन संयत्र विद्यमान है जिसे यथावत रखा गया। एचटी लाइन के लिए गलियारा सम्बद्ध सैक्टरों की लेआउट योजना में विस्तार में रखा जाएगा।

सार्वजनिक तथा अर्ध—सार्वजनिक उपयोग

प्रस्ताव में सार्वजिनक तथा अर्ध—सार्वजिनक प्रयोजन के लिए 34 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है जिसमें सैक्टर—5ए में सार्वजिनक तथा अर्ध—सार्वजिनक उपयोग हेतु लगभग 13.49 हेक्टेयर तथा 6.47 हेक्टेयर सैक्टर—4 में आरक्षित है। यहां पर एक तहसील कार्यालय, एक खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी का कार्यालय तथा न्यायिक परिसर वर्तमान शहर में लगभग 1.21 हेक्टेयर क्षेत्र में विद्यमान है तथा सिंचाई विभाग का विश्राम गृह जिसका क्षेत्र लगभग 2.76 हेक्टेयर है, सैक्टर—5बी में स्थित है। सैक्टर—7 में कामकाजी महिलाओं के लिये 1 एकड क्षेत्र का स्थल, सैक्टर—6 में वृद्ध आश्रम के लिये 1 एकड का स्थल तथा नगरपालिका सीमा में इन्द्री स्केप के पास पशुओं के बाडा के लिये 1 एकड भूमि प्रस्तावित की गई है। सैक्टर—8 में स्लाटर हाउस का स्थल पहले से ही स्थापित है।

7. खुले क्षेत्रः

प्रस्तावना में 170 हेक्टेयर क्षेत्र को खुले क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया गया है। जिसमें 18.59 हेक्टेयर पार्क हेतु पार्क तथा अन्य मनोरंजन सम्बन्धी उपयोग हेतु सैक्टर—5बी में तथा 17.55 हेक्टेयर पार्क, स्टेडियम, खेल के मैदान इत्यादि हेतु सैक्टर—8 में पश्चिमी यमुना नहर के साथ—साथ शामिल है शेष बचा क्षेत्र वी—1 (ए), वी—2, सड़कों, पश्चिमी यमुना नहर, सिरसा ब्रांच तथा अन्य जल मार्गों जोिक शहर में से गुजरते हैं, हरित पटिटयों के रूप में है।

इस प्रस्तावना में 58 हेक्टेयर का क्षेत्र जल निकाय जैसे पश्चिमी यमुना नहर, सिरसा ब्रांच नहर, मुगल कैनाल, इन्द्री इस्केप, अन्य ड्रेने/चैनल जो शहर में से गुजरती है तथा इस क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव के साथ लगते तालाब क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं।

कृषि अंचलः

नियंत्रित क्षेत्र में शेष भाग कृषि अंचल के रूप में रखा गया है। तथापि यह इस क्षेत्र में आवश्यक भवन विकास को नहीं रोकेगा, जैसे कि आबादी देह के साथ—साथ मौजूदा गांवों का विस्तार, यदि सरकार द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित किसी परियोजना के रूप में किया जाना है और परिशिष्ट 'ख' में अनुबन्ध (ख) के अधीन अंचल विनियमों में अनुमत गतिविधियों के रूप में शामिल है और सम्बन्द्ध सुविधाओं के रखरखाव और कृषि क्षेत्र के रूप में सुधार के लिए जरूरी सुविधाएं जो शहर के लिए एक खुले ग्रामीण परिवेश के रूप में सेवा करने का प्रस्ताव है।

अंचल विनियम :

भूमि उपयोग के बारे में प्रस्तावों के लिए अंचल विनिमय, (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को शासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा नियतन करेंगे कि भूमि उपयोग के सभी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तुत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर योजना में दर्शाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।

अनुबन्ध ख

अंचल विनियमः

प्रारूप विकास योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (के) 1560 / 2018, दिनांक 12 मई, 2018 में दर्शाए अनुसार इन्द्री शहर के नियंत्रित क्षेत्र में भूमि का उपयोग तथा विकास को शासित करना।

I सामान्य

- (1) इन्द्री शहर के नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा।
- (2) इन विनियमों की अपेक्षाएं प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगीं जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हिरयाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II परिभाषायें : इन विनियमों में:

- (क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;
- (ख) "भवन नियमों" से अभिप्राय है, नियमों के भाग VII में दिए गए नियम;
- (ख क) "भवन संहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;
- (ग) "ड्राईंग" से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (के) 1560 / 2018, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 में दर्शाए अनुसार।
- (घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणज को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात् :—

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर, अनुमत छत प्रोजेक्शनों; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्श यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्श क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक शाफ्ट, शूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्श क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेशन शाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्श क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

- (ड.) 'ईधन स्टेशन' का अर्थ है ईंधन भरने वाला स्टेशन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प सीएनजी स्टेशन, जैव ईंधन, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी उपलब्ध स्टेशन आदि शामिल है।
- (च) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;
- (छ) ''हल्के उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बिहःस्त्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;
- (ज) 'स्थानीय सेवा उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चिक्कयां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;
- (झ) ''मध्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;
- (ञ) 'व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमित से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्तें कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;
- (ट) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमित से सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);
- (ठ) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है सरकार की अनुमित से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धूआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बिहःस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों:
- (ड) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथिः

क्रम संख्या	नियंत्रित क्षेत्र तथा अधिसूचना संख्या	वास्तविक तिथि
1.	हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या, सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/के.एन.एल. (I) सी.ए.–ए/2006/2863 दिनांक 18 सितम्बर, 2006 द्वारा अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र जो हरियाणा राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित हुई है।	

- (ढ) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;
- (ण) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे—जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;
- (त) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;
- (थ) ''सैक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता'' से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;
- (द) ''सैक्टर क्षेत्र अथवा कॉलोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, विकास योजना में जो ऐसे रूप में दर्शाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र:

व्याख्या:-

- (1) इस परिभाषा में "सैक्टर क्षेत्र" या "कालोनी क्षेत्र" से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी / सैक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग में दर्शाया गया है जिसमें सैक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं है;
- (2) मुख्य सड़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड़ / ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र / फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;
- (3) औद्योगिक कालोनी / सैक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजिनक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भृमि कालोनी / सैक्टर के अधीन भृमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- (4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनो के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी / ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान एवं आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;
- (5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं , प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;
- (ध) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;
- (न) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप—िनवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'' और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वहीं अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और नियम, 1965 में दिया गया है;
- (प) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर—
 - (i) निवास यूनिट अर्थात् मुख्य उपयोगः; तथा
 - (ii) फार्म छायाबान अर्थात् गौण उपयोग।

टिप्पण:-

- (1) फार्म गृह का निर्माण "कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था" संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;
- (2) ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'' फार्म शैंड, के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लिखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

- (फ) ''टांड या पुश्तवान'' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की शैल्फ जैसे बहिर्गत भाग बशर्ते परन्तु जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो ।
- (ब) "अटारी" से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अविशष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेत् निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;
- (भ) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर से कम नहीं होगा ;
- (म) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्यों को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;
- (य) ''ग्रामीण उद्योग स्कीम'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;
- (य क) "लघु उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;
- (य ख) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;
- (य ग) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट—1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा / अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय—समय पर परिभाषित की जाये;
- (य घ) ''साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सिहत) की अनुमित प्रदान नहीं की जाएगी।
- (य ड.) ''साईबर सिटी'' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफटवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति अच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण शहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;
- (य च) "हरित पटटी" से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्शाए गए सैक्टर/आर्टरी सड़कों के साथ-साथ की भू पट्टी जो मुख्यतः भविष्य में सैक्टर/आर्टरी सड़क को चौड़ा करने के लिए हो; तथा
- (य छ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III मुख्य भूमि उपयोग / अंचल

- (1) (i) रिहायशी अंचल
 - (ii) वाणिज्यिक अंचल
 - (iii) औद्योगिक अंचल
 - (iv) परिवहन तथा संचार अंचल
 - (v) जनउपयोगिता अंचल
 - (vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)
 - (vii) खुले स्थान अंचल
 - (viii) कृषि अंचल
- (2) मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV सेक्टरों में विभाजन

उपर्युक्त अंचल विनियमन—III में क्रम संख्या—(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्शाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग :

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों को अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोड़े गये है ।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमित नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं।

VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमित अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

(1) ड्राईग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

क्रम संख्या	वर्गीकरण	भूमि आरक्षण
(i)	वी—1 (ए)	30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी सहित विद्यमान सड़कें।
(ii)	वी—1 (बी)	विद्यमान सड़कें जो सिरसा शाखा की हरित पट्टी सहित 24 मीटर चौड़ी की जानी है।
(iii)	वी—2	दोनो तरफ 30 मीटर की हरित पट्टी सहित 45 मीटर चौड़ी पैरीफरल सड़क
(iv)	वी—3	सैक्टरों को विभाजित करने वाली बिना सर्विस रोड के 45 मीटर चौड़ी सड़क

- (2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।
- (3) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता।

IX वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोग

- (1) विकास योजना में अननुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलों में अवस्थित स्थित विद्यमान परियोजना के संबंध में, निदेशक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अविध के लिए विकास योजना में प्रकाशन की तिथि से दस वर्ष की अनिधक अविध तक औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमित दी जाएगी बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी:
 - (क) निदेशक को स्थल के बाह्य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों को तथा जब भी निदेशक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;
 - (ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्त्राव के निष्कासन की सुनिश्चित व्यवस्था
 - (ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।
 - (2) उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित है, ऐसे अननुरूप उपयोग चलते रहने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :
 - (क) निदेशक को स्थल के बाह्य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेशक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये के भुगतान का वचन देता है;
 - (ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहि:स्त्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे।

X अननुरूप उपयोग बन्द करना

- (1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।
- (2) यदि अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमित दी जायेगी।
- (3) खण्ड IX के अधीन शामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमति की जायेगी।
- (4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अविध की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः

विनियम—IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग किसी भी जिसमें भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिससे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्टि स्थलः

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

- (i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा
- (ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था हो और सड़क बनी हो।

XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार:

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगे:--

क्रमांक संख्या	भूमि उपयोग	आकार
(i)	रिहायशी प्लाट	50 वर्ग मीटर
(ii)	सरकार द्वारा अनुमोदित आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास या गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास स्कीम में रिहायशी प्लाट 35 वर्ग मीटर	35 वर्ग मीटर
(iii)	दुकान एवं रिहायशी प्लाट	100 वर्ग मीटर
(iv)	शापिंग बूथ जिनमें सामने बरामदा या पत्थर तथा ईंट का 20 वर्ग मीटर पैदल मार्ग शामिल हो	20 वर्ग मीटर
(v)	स्थानीय सेवा उद्योग प्लाट	100 वर्ग मीटर
(vi)	हल्के उद्योग प्लाट	250 वर्ग मीटर
(vii)	मध्यम उद्योग प्लाट	8000 वर्ग मीटर

(2) रिहायशी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायशी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय—समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगें। तथापि यदि वर्ग आवास स्कीम हिरयाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी।

XV भवनों की अगली ओर पिछली ओर भवन पंक्ति

ये भवन संहिता / नियमों के अनुसार तथा / या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी।

XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवश्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनाये गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,—

- (क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।
- (ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें कि:-
 - (i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;
 - (ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;
 - (iii) भू-स्वामी, नियमों के यथा अपेक्षित अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा
 - (iv) भू—स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब भी कभी इस निमित्त निदेशक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेशक को करने का वचना देता है और अंतरिम अवधि में बिहःस्त्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या:— इस विनियम में प्रयुक्त शब्द "क्रय" से अभिप्राय है; पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का अर्जन करना तथा क्रय इत्यादि के करार के रूप में विनिर्दिष्ट हक से कमतर नहीं।

XVIII सघनता

दोनों ओर से 20 प्रतिशत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायशी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX कृषि जोन में आबादी देह के बाहर फार्म हाउस की व्यवस्था

केवल भू—स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमित दी जाएगी बशर्तें किसी शहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्देश्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है तािक वह उस फार्म पर निवास करते दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख—रेख कर सके। इसिलए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित शर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक है:—

	फार्म हाउस का आकार	आवासीय इकाई का मुख्य	मुख्य आवासीय इकाई का अनुषंगी
		भवन	भवन
(i) स्थल	न्यूतम 2 एकड परन्तु विकास योजना		
आच्छादन	में प्रस्तावित सड़क	समकक्ष रिहायशी प्लाट के	(मजदूरों / नौकरों के क्वार्टरों के
	<u>आरक्षण / प्रस्तावित</u> सड़क की चौड़ाई	लिये लागू है।	लिए 40 प्रतिशत से अधिक का
	के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र भूमि		उपयोग नहीं किया जायेगा)
	उपयोग में परिवर्तन की अनुमति हेतु		
	मान्य नहीं होगा। तथापि कृषि अंचल		
	में पडने वाले आवेदित 2 एकड क्षेत्र		
	में से हरित पट्टी / प्रतिबंधित पट्टी		
	के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़ते		
	हुए शेष क्षेत्र 1.5 एकड से कम नहीं		
	होना चाहिए।		
	3 एकड़ तक	जैसा कि 375 वर्ग गज के	— सम —
		समकक्ष रिहायशी प्लाट के	
		लिये लागू है।	
	4 एकड़ तक और अधिक	जैसा कि 500 वर्ग गज के	— सम —
		समकक्ष रिहायशी प्लाट के	
		लिये लागू है।	
(ii) ऊंचाई तश	था मंजिल	11 मीटर, तीन मंजिल	4 मीटर एक मंजिल

(iii) दूरी :

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर हो, बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है, तो आवास का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगा:—

क्रमांक संख्या	सड़क	चौड़ाई
(ক)	जहां सड़क अनुसूचित सड़क या एक्सप्रैसवे का बाईपास है	100 मीटर
(ख)	जहां सड़क अनुसूचित सड़क है या जैसा के विकास योजना में दर्शाया गया है	30 मीटर
(ग)	कोई अन्य सड़क	10 मीटर

(iv) पहुँच सड़कः

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता / सड़क है।

(v) तहखाना

तहखाना भू—तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा परन्तु तहखाने में शौच गृह तथा स्नान गृह को अनुमत नहीं किया जाएगा।

(vi) पुश्तवान, अटारी तथा परछती तल

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमित भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ—साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड—II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल निकास

- (क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।
- (ख) डेरी फार्म के मामले में छायावानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा के पानी के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।
- (ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपशिष्ट निस्तारण के लिए मलाश्य की व्यवस्था की जाये।
- (घ) मलाश्य और खुले कुएं अथवा नलकुप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;
- (viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के चारों ओर चार दीवारी के निर्माण की अनुमित दी जायेगी तथा फार्म के शेष क्षेत्र के इर्द—गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमित होगी।
- (ix) केन्द्रीय भूजल मण्डल द्वारा यथा अपेक्षित अत्यधिक शोषित अथवा सकटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगाः

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार / राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्युनतम आकार में संशोधन कर सकती है।

XX सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्क / साईबर शहरों के लिए उपबन्ध:-

(i) अवस्थिति

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;
- (ख) साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ग) साईबर शहरों :- ऐसी किसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(ii) आकार

क्रम संख्या	प्रकार	आकार
1	सूचना प्रौद्यागिकी औद्योगिक इकाई	1 से 5 एकड़
2	साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	5 से 15 एकड़
3	साईबर सिटी	न्यूनतम 50 एकड़

(iii) विविध

I पार्किंग

पार्किंग समय समय पर संशोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी।

II अन्य क्रियाकलाप

- (क) आनुषंगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक रैस्टोरैन्ट, इंश्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिशत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;
- (ख) साईबर शहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिशत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर शहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिशत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगाः
- (ग) साईबर शहर में रिहायशी प्लाटिड विकास की अनुमित नहीं दी जायेगी;
- (घ) साईबर शहर परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो, उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण / निकास नालिया इत्यादि का प्रबन्ध करेगा।
- III सरकार, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय–समय पर आवश्यक समझे।

XXI संचार टावरों की स्थापना :

नियंत्रित क्षेत्र के भीतर मोबाइल टावरों की अनुमति, समय—समय पर यथा संशोधित नीति दिनांक 10 मार्च, 2015 के अनुसार प्रदान की जायेगी।

XXII भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :

भारतीय मानक आई. एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण शहरी विकास घटना तीव्रता 'v' की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवश्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII विकास योजना में ढील :

सरकार अत्यन्त कठिनाई की दशा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य शर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्यायसंगत के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

मुख्य कोड	उपकोड	मुख्य वर्ग	उपवर्ग
100		रिहायशी	पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर
200		वाणिज्यिक	
	210		परचून व्यवसाय
	220		थोक व्यवसाय
	230		भांडागार और भंडारण
	240		कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है।
	250		रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं
	260		वाणिज्यिक आधार पर सिनेमा तथा लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान
	270		व्यवसायिक स्थापनायें
300		औद्योगिक	
	310		सेवा उद्योग
	320		हल्के उद्योग
	330		व्यापक उद्योग

मुख्य कोड	उपकोड	मुख्य वर्ग	उपवर्ग
400		परिवहन तथा संचार	
	420		सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र, ईंधन स्टेशन तथा गैरज
	450		दूरभाष केन्द्र
	460		प्रसारण केन्द्र
	470		दूरदर्शन केन्द्र
500		जन उपयोगितायें	
	510		जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है
	520		जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें मलजल शोधन संयंत्र तथा निस्तरण कार्य भी शामिल है, ईंधन स्टेशन
	530		विद्युत शक्ति उपस्टेशन आदि
	540		गैस संस्थापन और गैस कार्य
	550		ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्थल
600		सरकारी और अर्धसरकारी	
	610		सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें, पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास
	620		शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें
	630		चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें
	640		मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किरम के थियेटर आपेरा हाऊस आदि जैसी सांस्कृतिक संस्थायें
700		खुले स्थान	
	710		खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान
	720		पार्क
	730		हरित पट्टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग
	740		कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि
	750		ईंधन स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर
	760		जल निकाय/तालाब/जल पुनर्भरण क्षेत्र
800		कृषि भूमि	
	890		डेयरी फार्मिंग

परिशिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी/स्कीम योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी।

I. रिहायशी जोन

- (i) आवासीय
- (ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह
- (iii) जन उपयोगिता भवन
- (iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हो
- (v) स्वास्थ्य संस्थायें
- (vi) सिनेमा
- (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय
- (viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

- (ix) स्थानीय सेवा उद्योग
- (x) ईंधन स्टेशन
- (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो / रिक्शा स्टैंड
- (xii) नर्सरियां और हरित गृह
- (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें
- (xiv) सितारा होटल
- (xv) क्लब / सामुदायिक केन्द्र
- (xvi) संचार टावर
- (xvii) अतिथि / बोर्डिंग आवास
- (xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिश्चित करे।

II. वाणिज्यिक जोन

- (i) परचून व्यापार
- (ii) थोक व्यापार
- (iii) भांडागार और भंडारण
- (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक
- (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान शामिल हैं
- (vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि
- (vii) व्यावसायिक स्थापनायें
- (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास
- (ix) स्थानीय सेवा उद्योग
- (x) जन उपयोगिता भवन
- (xi) ईंधन स्टेशन और सर्विस गैरेज
- (xii) माल चढाने और उतारने वाले यार्ड
- (xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो / रिक्शा स्टैंड
- (xiv) नगर पार्क
- (xv) संचार टावर
- (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिश्चित करे।

III. औद्योगिक अंचल

- (i) हल्के उद्योग
- (ii) मध्यम उद्योग
- (iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग
- (iv) भारी उद्योग
- (v) सर्विस उद्योग
- (vi) भांडारण और भंडारण
- (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र
- (viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो / रिक्शा स्टैंड

(ix) जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो / तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जो सैक्टर के कुल क्षेत्र के 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है; निम्नलिखित हैं:—

क्रम संख्या	सुविधा का नाम	क्षे	त्र	सैक्टर में कल	वाणिज्यिक घटक	अधिकतम भूतल	फर्श क्षेत्र अनुपात	पहुँच सड़क
राज्या		न्यूनतम	अधिकतम	कुल सुविधाओं की संख्या	पटप)	आच्छादन	9	
1	ढाबा	500 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर	2	50 वर्गमीटर	40 प्रतिशत	0.40	न्यूनतम 18 मीटर
2	रैस्टोरैन्ट	1000 वर्गमी0	2000 वर्गमी0	2	10 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.50	न्यूनतम 18 मीटर
3.	दो / तीन सितारा होटल	1.0 एकड़	2.5 एकड	2	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	वाणिज्यिक योजनानुसार	न्यूनतम 24 मीटर
4.	पांच सितारा होटल	2.5 एकड़	4 एकड़	1	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	वाणिज्यिक योजनानुसार	सैक्टर विभाजक सडक जिस पर सर्विस सड़क का प्रावधान हो।

- (x) ईंधन स्टेशन तथा सर्विस गैरेज
- (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम
- (xii) साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाइयां
- (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डिस्पैंसरी, नर्सिंग होम तथा क्लीनिक, जो निम्नानुसार है:--

क्रम	सुविधा का	का क्षेत्र		सैक्टर में कुल	रिहायशी	अधिकतम भूतल	फर्श क्षेत्र
संख्या	नाम	न्यूनतम	अधिकतम	सुविधाओं की संख्या	घटक	आच्छादन	अनुपात
1	अस्पताल	2.5 एकड़	5 एकड़	1	15 प्रतिशत	33 प्रतिशत	1.00
2	डिस्पैन्सरी	1.0 एकड़	1.5 एकड	1	15 प्रतिशत	33 प्रतिशत	1.00
3.	नर्सिंग होम	250 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	2	शून्य	60 प्रतिशत	1.00
4.	क्लीनिक	250 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	2	शून्य	60 प्रतिशत	1.00

- (xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा संख्या मिसलिनियस 388/पी.ए.(आर.बी.)/2015/7/16/2006—2टीसीपी, दिनांक 01.10.2015 द्वारा जारी की गई यथा संशोधित अद्यतन पालिसी के अनुसार होगा।
- (xv) संचार टावर
- (xvi) तैयार मिश्रण कंकीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि
- (xvii) धर्म कांटा

(xviii) सर्विस गैरज, बिक्री / प्रदर्शन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम	सुविधा	क्षेत्र (ए	कड़)	वाणिज्यिक	अधिकतम	फर्श क्षेत्र	पहुंच मार्ग	ऊंचाई
संख्या	का नाम	न्यूनतम	अधिकत म	घटक	भूतल आच्छादन	अनुपात		
1	सर्विस गैरज	0.5	1	शून्य	60 प्रतिशत	1.25	18 मीटर या सेक्टर रोड के साथ प्रस्तावित सर्विस रोड	18 मीटर
2	बिक्री / प्रदर्शन केन्द्र—सह —सर्विस गैरज	0.5	2	अनुज्ञेय भू—तल क्षेत्र अनुपात का 10 प्रतिशत	60 प्रतिशत	1.25	सम	18 मीटर

टिप्पणीः - * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्गृहीत किए जाएंगे;

- विद्यमान / पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिकी / प्रदर्शन केन्द्र की अनुमित देने हेत् उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दशा में ही विचार किया जाएगा।
 - (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिश्चित करे।

IV. परिवहन तथा संचार अंचल

- (i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग
- (ii) परिवहन नगर, सडकें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र
- (iii) हवाई अङ्डा और हवाई स्टेशन
- (iv) दूरभाष केन्द्र
- (v) प्रसारण केन्द्र
- (vi) दूरदर्शन केन्द्र
- (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरिज
- (viii) ईंधन स्टेशन और सर्विस गैरेज
- (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो / रिक्शा स्टैंड
- (x) रसद केन्द्रों / कंटेनर यार्डस, अंर्तदेशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन
- (xi) धर्म कांटा
- (xii) संचार टावर
- (xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र के अधिकतम 5 प्रतिशत सीमा तक भांडागार
- (xiv) वर्तमान नीति के अनुसार ढाबा।

V. जन उपयोगितायें

- (i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं
- (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल शोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल है
- (iii) विद्युत शक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल है
- (iv) गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस
- (v) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

- (i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना
- (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

- (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें
- (iv) नागरिक / सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।
- (v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि
- (vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसार:-

क्रम	सुविधा	क्षेत्र		सैक्टर में	वाणिज्यिक	अधिकतम	फर्श क्षेत्र
संख्या	का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	कुल सुविधाओं की संख्या	घटक	भूतल आच्छादन	अनुपात
1	ढाबा	500 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर	2	50 वर्गमीटर	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2	रैस्टोरैन्ट	1000 वर्गमीटर	2000 वर्गमीटर	2	10 प्रतिशत	33 प्रतिशत	150 प्रतिशत

- (vii) संचार टावर
- (viii) ईंधन स्टेशन
- (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिश्चित करे।

VII. खुले स्थान

- (i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान
- (ii) पार्क तथा हरित पट्टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।
- (iii) कब्रिस्तान, श्मशान घाट आदि
- (iv) निदेशक की अनुमित से सड़कों के साथ ईंधन स्टेशन, बस पंक्ति / शैल्टर
- (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेशन प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें, सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।
- (vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र
- (vii) संचार टावर
- (viii) मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान
- (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिश्चित करें।

VIII. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

IX. कृषि जोन

- (i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन
- (ii) आबादी देह में गांव घर
- (iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस
- (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग
- (v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि, यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो
- (vi) दुग्धं अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र
- (vii) बस अड्डा और रेलवे स्टेशन
- (viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्डा
- (ix) बेतार केन्द्र
- (x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल
- (xi) मौसम कार्यालय
- (xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप
- (xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें और खम्भे
- (xiv) नियमों तथा अनुमोदित स्थल के अधीन रहते हुए खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्टे, पत्थर खदानें और क्रेशिंग शामिल हैं।
- (xv) श्मशान और कब्रिस्तान
- (xvi) ईंधन स्टेशन और सर्विस गैरेज
- (xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा शक्ति संयंत्र

- (xvii) निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम
- (xix) ग्रामीण उद्योग स्कीम / लघु उद्योग औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमित दी जाएगी, बशर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) के अधीन वर्जित पट्टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

क स्थल मानदंड	क. स्थल मानदंड				
अंचल	मानदंड				
कम संभावित क्षेत्र	शहरीकरण क्षेत्र से 2 किलो मीटर के भीतर (पैरिफिरल सड़कों को छोड़कर, यदि सुव्यवस्थित सीमा पर प्रस्तावित किया गया हो)	शहरीकरण क्षेत्र से 2 किलो मीटर से अधिक (पैरिफिरल सड़कों को छोड़कर, यदि सुव्यवस्थित सीमा पर प्रस्तावित किया गया हो)			
	किसी भी क्षेत्र श्रेणी गैर—प्रदूषणकारी हरी इकाइयां	किसी भी क्षेत्र की ग्रीन और नारंगी श्रेणी इकाइयां			
ख. पहुँच मानदंड					
मध्यम और निम्न संभवित क्षेत्र	औद्योगिक उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित के अनुदान के लिए न्यूनतम 30 फीट चौड़ा राजस्व सड़क / सार्वजिनिक सड़क पर विचार किया जाएगा । हालांकि, यदि भूमि उपयोग की औद्योगिक परिवर्तन 5 करम (27.5 फुट) चौड़ा राजस्व मार्ग / सार्वजिनक सड़क पर दी गई है, तो उस सड़क पर भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित के लिए आवेदन, इस शर्त पर माना जाएगा कि आवेदन करने वाले साइट के सामने 6 कर्म (33 फुट) परियोजना प्रत्यार्तक 1 करम (5.5 फुट) चौड़ी पट्टी का दान ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण को हिबबानैमा / उपहार के माध्यम से विस्तृत पट्टी के रूप में बनाने के लिए लागू की गई भूमि ।				

- (xx) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क / रास्ता, जिनकी चौड़ाई 30 फुट से कम न हो, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बड़े पैमाने के कृषि आधारित उद्योग बशर्ते कि स्थल, ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।
- (xxi) निर्बन्धित / हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग / अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे रैस्टोरैन्ट, मोटल, रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क / थीम पार्क जो निम्न अनुसार होंगे:

क्रम	अनुज्ञय गतिविधि	8	ার	वाणिज्यक	अधिकतम	फर्श क्षेत्र
संख्या		न्यूनतम	अधिकतम	घटक	भूतल आच्छादन	अनुपात
1	ढाबा	1000 वर्ग मीटर	1.0 एकड़	50 वर्ग मीटर	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत
2	रैस्टोरैन्ट	2000 वर्ग मीटर	1.0 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 प्रतिशत
3	बैंक्विट सुविधाओं के साथ मोटल	2.5 एकड़	5.0 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 प्रतिशत
4	रिर्सोट	4.0 एकड़	10.0 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 प्रतिशत
5	मन बहलाव पार्क /थीम पार्क	2.5 एकड़	10.0 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	50 प्रतिशत

परन्तु पहुंच अनुज्ञा यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हालः

अनुज्ञेय अंचल	कृषि अचंल
पहुंच	 पहुंच सड़क की चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए। यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर स्थित हो तो पहुंच अनुज्ञा की अनुमित कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) से अपेक्षित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से भी पहुंच विचारी जा सकती है, यदि स्थल चौराहा/ पहुंच मार्ग से न्यूनतम दूरी मानक पूरा करते हो तथा न्यूनतम 7 मीटर चौडी सेवा सड़क पर अवस्थित हो या आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पहुंच की पूर्व अनुज्ञा प्रस्तुत करता है।
अपेक्षित क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्र २.५ एकड् अधिकतम क्षेत्र ५.०० एकड्
फर्श क्षेत्र अनुपात	0.50
भूतल क्षेत्र आच्छादन	30 प्रतिशत
परिवर्तन प्रभार	वाणिज्यिक उपयोग के लिए विहित दर का 50 प्रतिशत
फर्श क्षेत्र अनुपात के भीतर अनुज्ञेय अनुषंगिक उपयोग	उपहार दूकान, एस०टी०डी० बूथ, खिलौना केन्द्र तथा फूलो की दूकाने इत्यादि के लिए अनुज्ञात फर्श क्षेत्र अनुपात का 10 प्रतिशत
पार्किंग	स्थल क्षेत्र का न्यूनतम 25 प्रतिशत

नोट:—नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल / बैंक्विट हॉल की व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय—समय पर यथा संशोधित नीति के अनुसार होगा।

(xxiii) माईक्रोवेव स्तूप / स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पाविध के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंकीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxv) धर्म कांटा

(xxvii) सर्विस गैरज, बिक्री / प्रदर्शन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार है:

क्रम	सुविधा का	क्षेत्र (एकड़)	वाणिज्यिक	अधिकतम	फर्श क्षेत्र	पहुंच मार्ग	ऊंचाई
संख्या	नाम	न्यूनतम	अधिकतम	घटक	भूतल	अनुपात		
					आच्छादन			
1	सर्विस गैरज	0.5	1	शून्य	60 प्रतिशत	1.25	18 मीटर या सेक्टर रोड के साथ प्रस्तावित सर्विस रोड	18 ਸੀਟਾ
2	बिक्री / प्रदर्शन केन्द्र—सह— सर्विस गैरज	0.5	2	अनुज्ञेय भू-तल क्षेत्र अनुपात का 10 प्रतिशत	60 प्रतिशत	1.25	सम	18 मीटर

टिप्पणीः *वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्गृहीत किए जाएंगे;

*विद्यमान / पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैरज को बिकी / प्रदर्शन केन्द्र की अनुमित देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दशा में ही विचार किया जाएगा।

परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप / परिभाषा में सम्मिलित की गए उद्योगों की श्रेणियां

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिज के अन्तर्गत:

डैस्क्टाप

पर्सनल कम्पयूटरर्स

सरवर्स

वर्क स्टेशन

नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी.

लैपटॉप कम्पयूटरर्स

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्पयूटरर्स / पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड / मेमोरी के अन्तर्गत:

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.)

एडोप्टर इथरनेट / पी.सी.आई. / ई.आई.एस.ए. / कोम्बो / पी.सी.एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमारी

डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसेंसिग यूनिट(सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत:

हार्ड डिसक ड्राईवस / हार्ड ड्राईवस

आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर

फलोपी डिस्क ड्राईव

सी.डी.रोम डाईव

टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस / डी.ए.टी.

आपटिकल डिस्क ड्राईव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस

मल्टीमीडिया किट्स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट

इन्कजैट

डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स

लाईन प्रिन्टर्स

प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः

हब्ज

रूटर्स

स्विचिस

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत:

एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर / फर्म वेयर

(ज) कम्प्यूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग / केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित)

फाईबर केबल

कोपर केबल

केबल्स

कनैक्टर्स, टरिमनल ब्लाक

जैक पैनल्स, पैच कोर्ड

माऊटिंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक

सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत:

सी.डी.रोम / कम्पैक्ट डिस्क

फलोपी डिस्क

टैप्स डी.ए.टी. / डी.एल.टी.

रिबन्स

टोनर्स

इन्कजैट कारटेजिस

आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड / पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड / पी.सी.बी.

ट्रांजिस्टर्स

इन्टैग्रेटिड सर्किट्स/आई.सी.एस.

डायोड्स / थाईरिस्टर / एल.ई.डी.

रेसिस्टर्स

केपेसिटर्स

स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)

प्लगस/सोकेट्स/रिलेज

मेगनेटिक हेड्स, प्रिन्ट हैड्स

कनेक्टर

माईक्रोफोन्स / स्पीकर्स

फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन

विडियो फोन

फेसी माईल मशीन / फैक्स कार्ड

टैली प्रिन्टर / टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स. / ई.पी.ए.बी.एक्स. / आर.ए.एक्स. / एम.ए.एक्स. टैलीफोन

एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स / म्यूजिस

मोडम्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीन

टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना तथा मास्ट

वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट

रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल / सैल्यूलर फोन इत्यादि

वी.एस.ए.टीज.

वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट'

जिसमें वीडियो तथा डिजिटल सिग्नलिंग दोनों के लिए लगने वाले सैट

टाप बॉक्स शामिल हैं

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक किया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद / सेवायें है :

- भारत से बाहर वितरित करने के लिए
- संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा
- या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्रोत) या उसी कम्पनी (बाहर अवस्थित) के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ

टिप्पणी :--

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं:

- 1 सुदुर उत्पादन / विनिर्माण इकाइयां
- 2 कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं
- 3 इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, उनमें सम्मिलित होंगे :

- (i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स
- (ii) काल सैन्टरज़
- (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन
- (iv) डाटा प्रोसैसिंग
- (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना
- (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज
- (vii) मानव संसाधन सेवायें
- (viii) बीमा दावा प्रोसेसिंग
- (ix) लीगल डाटा बेस
- (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन
- (xi) पे-रोल
- (xii) सुदूर रख-रखाव
- (xiii) राजस्व लेखाकरण
- (xiv) सपोर्टस सैन्टर तथा
- (xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 30th January, 2019

No. CCP (NCR)/DDP/KNL-INDRI/2019/ 329.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following Draft Development Plan 2031 AD for controlled area around municipal limits of Indri town, District Karnal alongwith restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled area specified in Annexure B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, addressed to Chief Coordinator Planner (NCR), 3rd Floor, 1st Block, HUDA Complex, Sector-6, Panchkula for the area falling outside Municipal Committee limit, from any person with respect to the Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings

- 1. Existing Land Use Plan for controlled area around municipal limits of Indri Town bearing drawing no. DTP(K)1299/2006, dated the 30th October, 2006. (Already published *vide* Haryana Government Town and Country Planning Department Notification No. CCP(NCR)/DDP/KNL-INDRI/2008/705, dated the 7th March, 2008.)
- 2. Draft Development Plan Indri-2031 AD bearing drawing no. DTP(K)1560/18, dated the 12th September, 2018.

Annexure-A

Explanatory Note on the Draft Development Plan 2031 AD for Indri Controlled Area around municipal limits of Indri town, District Karnal.

I Introduction:

The town Indri is situated on the Karnal-Ladwa Road at a distance of about 22 Kilometers from National Highway Number 44, Delhi-Ambala-Amritsar Grand Trunk Road, North-East of Karnal and on eastern side of western Jamuna Canal from which Sirsa Branch starts. An ancient fort Shish Mahal belonging to the sultan and ruins of the same are existing in the out skirts of the town, where the New Anaj Mandi is existing alongwith nine lacs varieties of the plants of Naulakha bagh can be seen in the town. The town is well linked with Kurukshetra-Ladwa and other important towns of Uttar Pradesh and Haryana. The main Yamuna river is flowing near the town at an approximate distance of 10 kilometers.

II. Location and Regional Setting:-

The town of Indri is situated at Karnal-Ladwa –Shahbad Scheduled Road at a distance of 22 Kms from Karnal, 13 Kms from Ladwa, 15 Kms from Kuruskshetra, 45 Kms from Yamunanagar and well connected by roads to the above towns as well as with other states like Uttar Pradesh, Delhi and Punjab. It is situated at 290 59' North latitude and 770 05' East longitude and at 257 metres above mean sea level. The municipal area of the town is 0.95 square kilometers i.e. 95 hectares.

III. Physiography:-

Indri town is flanked by Western Yamuna Canal in West, Indri Escape in the North-East and Mughal Canal in the South. The plenty of potable sub-soil water is available. In addition to it water can be taken from Western Yamuna Canal. This area is slightly flood prone, but no major flood has occurred in the last 50 years.

IV. Availability of Infrastructure:

(a) Physical Infrastructure:

There is one 132 Kilovolt electric sub-station in the town and 13600 numbers of electric connections of various categories. The Public Health Department provides water supply of 150 liters per capita per day. There is sewerage facility in the town. One Telephone Exchange is also functioning in the town. The site of solid waste disposal has been grouped with Karnal.

(b) Social Infrastructure:

There are four nursery / primary schools, two senior secondary schools and a Shaheed Udham Singh Government College. There is a 24 bed community health center and 20 private clinics are serving in the town. There are two Government veterinary hospitals in the town to cater to the need of the live stock of the area.

V. Economic Characteristics:

The economy of this area is agro- based and major agricultural; produces are paddy, wheat and sugarcane etc. In order to cater to wholesale commercial needs for agro products in this region, the Haryana State Agricultural Marketing Board has established a modern grain market at Karnal road having an area of approx. 21.77 hectares. There are two grain godowns one of Central Warehouse Corporation and another of Haryana State Agriculture Marketing Board. There are six banks which are providing their services in the town.

VI Demography and Projected Population:-

The population of the town was 2846 in 1961, which increased to 11131 in 1991, 16862 in 2001 and to 19567 in 2011. The projected population 2011- 2021 is 41091 with growth rate 110% and for the year 2031 shall be 86291 with growth rate of 110%. As per census 2011 population of Indri town 19567 is existing in the existing town and thickly built up area measuring 103.74 hectares with a town density 189 PPH and the remaining projected population will be 66724 upto 2031 as per density 364 PPH. The proposal has been prepared to accommodate the 86291 persons population up to 2031 AD are given in the table below:

Year	Population	Growth Rate
1961	2846	-
1971	4630	62.6%
1981	8304	79%
1991	11131	34%
2001	16862	30%
2011	19567	16.04%
2021	41091*	110%
2031	86291 *	110%

^{*} Projected Population

VII Existing Transportation and Communication Network:-

The town is situated at Karnal-Ladwa-Shahbad State Highway Number 7 and is connected by road with various towns and villages. Bus service has been provided by Haryana Roadways. The town is not connected by rail services till now.

VIII Need for declaration of Controlled Area:-

In order to channelize the development in a planned manner and to provide modern living to the people and to control the haphazard growth the Controlled Area around Indri town was declared under section 4(1) of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. CCP(NCR)/KNL-(I)CA(A)/2006/2863, dated the 18th September, 2006. The development proposal of this area has been prepared upto 2031AD.

IX Major Land use Proposals:-

Keeping in view the above projections, the town is being planned to accommodate the population of 86291 persons by 2031 AD. The development of existing town is mainly within Municipal limit. To keep harmony with the present growth trends the proposed development of the town is envisaged in the form of extension of the existing town.

The overall development plan is proposed to divide the entire development plan area into eight sectors containing various urban land uses like residential, institutional, industrial, commercial etc. The location of these land uses has been fixed according to site conditions, geographical aspect, easy traffic flow, condition of floodability and convenience to the future and the present uses. The detailed breakup of the proposed land uses within the controlled area is as below:-

Serial Number	Land Use	Proposed Area within M.C. Limit (in hectare)	Proposed Area within Controlled (in hectare)	Total area (in hectare)	Percentage of total area
1	Residential	100	187	287	40.94
2	Commercial	8	34	42	5.99
3	Industrial	ustrial 26		79	11.27
4	Transport and Communication	6	67	73	10.41
5	Public Utilities	10	6	16	2.28
6	Public and Semi Public	1	33	34	4.85
7	Open Spaces/green belt & Water Bodies 20		150	170	24.25
	Total	171	530	701	100

DESCRIPTION OF LAND USES

1. Residential

The entire residential area is divided into 5 sectors, population of 19567 has already been accommodated in own area of 103.74 hectare i.e. sector 1, 2, 5, 6 and 7. Sector 1 and 2 are existing town, sector 5, 6 and 7 have been proposed as new residential sectors. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY), 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector. To accommodate the population of 66724 persons upto 2031 A.D. 183.26 hectares area has been reserved for residential purposes. This area will include the ancillary and allied activities like schools, shopping centers, health centers, religious facilities and local level open spaces etc.

- 1. The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned / developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.
- 2. The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.
- 3. The minimum area for parks/open spaces in a residential colony / sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norms of 2.5 Sq. mtrs. per person.

2. Commercial

Within the existing town the commercial activity is mostly located along the main streets of the town in the form of Bazar. Though the residential sectors would have adequate provisions in the form of neighborhood shopping to cater the need of residents. An area of about 15.26 hectare has been earmarked in sector 5 A for city centre and other commercial activity in 5.24 hectares in sector-4 and 21.77 hectares land in sector-2 has been earmarked for the expansion of existing Grain Market situated in this sector. Thus the total area for commercial activities is 42 hectares.

3. Industrial

Indri has been declared as industrially backward block by the Government of Haryana. So as to provide industrial impetus to the town an adequate area of 79 hectares is reserved in sector-4 for industrial purposes.

4. Transport and Communication

The town of Indri is well connected with entire region by road. Karnal -Ladwa-Shahbad State Highway No. 7 passes through the town. Many villages link roads emanate from here in all the directions. The major part of traffic on the roads of the town is the traffic between Karnal and Yamuna Nagar towns. So as to decongest the internal roads and provide smooth flow to the traffic crossing the town a peripheral road (V-2) has been proposed around the western side of the. The sector dividing roads designated as V-3, are provided within the sectors, however, lower category of roads will provide access to the individual uses located therein. The width/reservation of various roads provided in the development plan is as under:-

Serial Number	Classification of roads	Land reservation
(i)	V-1(a)	Existing road with 30 mtrs green belt.
(ii)	V-1(b)	Existing road to be widened upto 24 mtrs. along green belt of Sirsa Branch.
(iii)	V-2	45 mtrs. wide peripheral road with 30 mtrs. green belt on both side.
(iv)	V-3	45 mtrs. wide sector dividing road without service road.

An area of 17.17 hectares is reserved for Transport Nagar in Sector-3 ideally located between grain market and industrial sector-4. An area about 4.32 hectare is earmarked for new bus stand in sector 4 to keep the existed town away from heavy vehicular traffic. The total area reserved for transport and communication is 73 hectares including the area of roads.

5. Public Utilities

At present an area of approx. 1.41 hectares is being used as 132 Kilovolt electric sub-station i.e. part of the proposed sector 5-B and about 1.64 hectares is being used for public health purposes in Sector-8. There is an existing sewerage treatment plant of approximately 9.98 hectares situated in proposed sector -2 and is also retained. The Corridor for H.T. line will be laid in detail in layout plan of concerned Sectors.

6. Public and Semi Public

Total 34 hectares area has been reserved for public and semi public purpose in the proposal for which, an area of 13.49 hectares is reserved for public and semi public uses in sectors 5-A and 6.47 hectares area in sector -4. There is a Tehsil Office, Block Develoment & Panchayat Officer office and Judicial Complex office is in the existing town having an area of about 1.21 hectares and existing rest house of irrigation department having an area of 2.76 hectares in sector 5-B. Site of Working women hostel area one acre in Sector-7, Old Age Home one acre in Sector-6, and Site of Cattle Yard one acre near Indri Escape within Municipal Limit, Indri have been proposed. Site of Slaughter House also exists in Sector-8.

7. Open Spaces

An area of 170 hectares has been reserved in the proposal in the form of open space. This includes 18.59 hectares for park in sector 5-B and 17.55 hectares for park, stadium, sports ground etc. in Sector – 8 along Western Yamuna canal, the rest of the area is under green belts of V-1(a), V-2 roads along Western Yamuna canal, Sirsa branch and other channels passing through the town.

An area of 58 hectares is under water bodies like Western Yamuna Canal, Sirsa Branch, Mugal Canal, Indri escape and other drainage/ channels passes through the town and the area of ponds adjoining to the villages which fall in the urbanisable zone is also include in this area.

8. Agricultural Zone:

The remaining area in the controlled area is kept as agriculture zone. This will however not prevent the essential building development within this area such as the extension of existing villages contiguous to Abadi-deh, if undertaken as a project sponsored or approved by the Government and other activities included as permissible activities in the Zoning regulations under appendix 'B' to annexure 'B' ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement of this area as agricultural land which is proposed to serve as an open country side for the town as a whole.

Zoning Regulations

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

ZONING REGULATIONS

Governing uses and development of land in the Controlled Areas of Indri town as shown in Draft Development Plan bearing drawing no. DTP(K)1560/18, dated the 12th September, 2018.

1. GENERAL

- (1) These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled area Indri town shall be called zoning regulations of Draft Development Plan for controlled area.
- (2) The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions:-

In these regulations:

- (a) "Approved" means approved under the rules;
- (b) "Building Rules" means rules contained in part VII of the Rules.
- (b a) "Building Code" means, the Haryana Building Code 2017;
- (c) "Drawing" means drawing no DTP(K)1560/18, dated the 12th September, 2018.
- (d) "Floor area ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, waster tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

- (e) 'Fuel station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio fuels, charging stations, battery providing stations etc.
- (f) "Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;
- (g) 'Light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

- (h) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta -Chakies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house-hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;
- (i) 'Medium Industry' means all industries other than 'Light Industry' and Local Service Industry and not emitting obnoxious or injurious fumes and odors;
- (j) 'Extensive Industry' means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;
- (k) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);
- (l) 'Obnoxious or hazardous industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;
- (m) "Material Date", "material date" means the date of publication of notification of various controlled areas declared as under:

Serial Number	Name of the Controlled Area and Notification No.	Material Date
1.	Controlled Area notified vide Haryana Govt. Gazette Notification No. CCP (NCR)/KNL(I)CA-A/2006/2863, dated the 18th September, 2006, published in Haryana Government Gazette on 18th September, 2006.	18th September, 2006

- (n) "Non-confirming use" in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;
- (o) "Public Utility Service Building" means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station;
- (p) "Rules" means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965;
- (q) "Sector Density" and "Colony Density" means the number of persons per hectare in sector area or colony area, as the case may be;
- (r) "Sector Area" and "Colony Area" means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan.

Explanation:-

- (1) In this definition the "Sector Area" or "Colony Area" shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.
- (2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;
- (3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;
- (4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling

- units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cumresidential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;
- (5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;
- (s) "Site Coverage" means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;
- (t) The terms "Act", "Colony", "Colonizer", "Development Plan", "Sector" and "Sector Plan" shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965;
- (u) "Farm House" shall means a house constructed by the owner of a Farm at his land for the purpose of:-
 - (i) dwelling unit i.e. main use; and
 - (ii) farm shed *i.e.* ancillary use.

Notes:-

- (1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding "Provision of Farm House outside abadi-deh in Agricultural Zone";
- (2) The farm sheds regarding building control and site specifications shall be governed by the restrictions mentioned in clause XIX;
- (v) "Ledge or Tand" means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one meters;
- (w) "Loft" shall means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;
- (x) "Mezzanine Floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;
- (y) "Subservient to Agriculture" shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of agriculture such as tube wells, pump chambers, wind mills, irrigation's drains, pucca platforms, fencing and boundary walls, water hydrants etc;
- (z) "Rural Industries Schemes" means industrial unit, which is registered as rural industries schemes by the Industries Department;
- (za) "Small Scale Industries" means industrial unit, which is registered as small scale industries by the Industries Department;
- (zb) "Agro based industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material;
- (zc) "Information Technology Industrial Units" means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;
- (zd) "Cyber Park"/"Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;
- (ze) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;
- (zf) "Green Belt" shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan, primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future; and

(zg) any other terms shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).

III Major land uses/zone:

- (1) (i) Residential zone
 - (ii) Commercial zone
 - (iii) Industrial zone
 - (iv) Transport and Communication zone
 - (v) Public Utility Zone
 - (vi) Public and semi public zone (institutional zone)
 - (vii) Open spaces zone
 - (viii) Agriculture zone
- (2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV Division into sectors

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown, bounded by the major road reservations and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V Detailed land uses within major uses

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII Sectors to be developed exclusively through Government enterprises

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII Land reservations for major roads

(1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under:-

Serial	Classification	Land reservation
Number	of roads	
(i)	V-1(a)	Existing road with 30 mtrs green belt.
(ii)	V-1(b)	Existing road to be widened upto 24 mtrs. along green belt of Sirsa Branch.
(iii)	V-2	45 mtrs. wide peripheral road with 30 mtrs. green belt on both side.
(iv)	V-3	45 mtrs. wide sector dividing road without service road.

- (2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.
- (3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission

- (1) With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned:
 - (a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;
 - (b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.
 - (c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.
- (2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:
 - (a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf.
 - (b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X Discontinuance of non conforming uses

- (1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or redeveloped only according to the conforming use.
- (2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.
- (3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.
- (4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI Development to conform to sector plan and zoning plan

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII Individual site to form part of approved layout or zoning plan

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

- (i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and
- (ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII Minimum size of plots for various types of buildings

(1) The minimum size of the plots for various types of uses shall be as below:-

Serial	Land Use	Size
Number		
i.	Residential plot	50 Square meters
ii.	Residential plot on subsidized industrial housing or	35 Square meters
	slum dwellers housing scheme approved by the	
	Government	
iii.	Shop-cum-residential plot	100 Square meters
iv.	Shopping booths including covered corridor or	20 Square meters
	pavement in front	
V.	Local service industry plot	100 Square meters
vi.	Light industry plot	250 Square meters
vii.	Medium industry plot	8000 Square meters

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV Building lines in front and rear of buildings

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site

XVI Architectural control

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII Relaxation of agricultural zone

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

- (a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.
- (b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that-

- (i) the land was purchased prior to the material date;
- (ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;
- (iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;
- (iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word purchase in the regulation shall means acquisition of full property right and not no lesser title, as agreement to purchase etc.

XVIII Density

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy, 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX Provision of Farm House outside Abadi-Deh in Agricultural Zone:

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real objective for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

	Size of farm house	Main building of the	Ancillary building of
		dwelling unit	main dwelling unit
(i) Site	2 acres minimum but CLU permission for	As applicable to	1 percent of the farm
Coverage	the area falling under road	residential plot	land (not more than
	reservation/proposed road widening as per	equivalent to 250 square	40% shall be used for
	Development Plan, shall not be considered.	yards.	labour/servant quarters)

	However the net area should not be less than 1.5 acres after excluding the area falling under the green belt/restricted belt and falling in Agriculture zone from applied area of 2 acres.		
	Upto 3 acres	As applicable to residential plot equivalent to 375 square yards.	-do-
	Upto 4 acres and above.	As applicable to residential plot equivalent to 500 square yards.	-do-
(ii) I	Height and Storey	11 metres, three storeyed.	4 metres, single Storey

(iii) Set back: It shall be at least 10 metres away from the edge of the agriculture land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:-

Serial Number	Road	Width
a	Where the road is bye-pass to a scheduled road or an	100 metres
	expressway.	
b	Where the road is a scheduled road or as shown in the	30 metres
	Development Plan	
С	Any other road	10 metres

(iv) Approach road Any revenue rasta/road defined in the revenue record.

Basement (v)

Loft (vi) Ledge, and Mezzanine floor

(vii) Services, water supply and drainage

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground coverage but in the basement water closet and bathroom shall not be permitted.

permitted shall Ledge. Loft and mezzanine floor be within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause-II of zoning regulations of Development Plan.

- (a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case farm house is built.
 - (b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.
 - (c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of the Rules.
 - (d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.
- (viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary therof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.
- The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over (ix) critical areas as declared by Central Ground Water Board. exploited or

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XXPROVISIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS/CYBER CITIES

LOCATION

- (a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas / Industrial Zones
- Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or (b) Industrial Zones abutting on sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;
- Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government; (c)

(ii) SIZE

Serial Number	Туре	Size
1	Information Technology Industrial Unit	1 to 5 acres
2	Cyber Park / Information Technology Park	5 to 15 acres
3.	Cyber City	minimum 50 Acres

(iii) MISCELLANEOUS

I Parking

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017.

II Other Activities

- (a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;
- (b) only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/Institutional uses;
- (c) no residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;
- (d) for a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc;
- III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy dated 10.03.2015 as amended from time to time:

XXII Safety against Seismic Hazards:-

As the Development Plan area falls in Seismic zone as per seismic zone map of Indian Standard IS 1893:2002 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same "the whole urban development shall be checked for safety against an intensity 'V' probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in building and infrastructure as found necessary".

XXIII Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A Classification of land uses

Main code	Sub code	Main group	Sub group
100		Residential	Residential sector on neighborhood pattern
200		Commercial	
	210		Retail Trade
	220		Wholesale Trade
	230		Warehousing and Storage
	240		Office and Banks including Government office
	250		Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc.
	260		Cinema and other places of public assembly on a commercial basis.
	270		Professional establishments

Main code	Sub code	Main group Industrial	Sub group
	310	industria:	Service industry
	320		Light industry
	330		Extensive industry
400		Transport and communication	•
	420		Roads, road transport depots and parking areas, fuel filling station and garage
	450		Telephone exchanges etc.
	460		Broadcasting station
	470		Television station
500		Public utilities	
	510		Water Supply installation including treatment plants
	520		Drainage and Sanitary installation including Sewage Treatment Plant and disposal works, fuel filling stations
	530		Electric power plants, substation etc.
	540		Gas Installation and gas work.
	550		Solid Waste management sites
600		Public and semi public	
	610		Government Administrative Central Secretariat District Offices, Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.
	620		Education, Cultural and Religious Institutions
	630		Medical and Health Institutions
	640		Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of a predominantly non commercial nature
700		Open Spaces	
	710		Sports grounds, stadium and play grounds
	720		Parks
	730		Green belts, garden and other recreational uses.
	740		Cemeteries, crematories etc
	750		Fuel filling stations and Bus queue shelters
	760		Water bodies/ lakes/water recharge zones
800		Agricultural land	
	890		Dairy farming

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

- (i) Residence
- (ii) Social community religious and recreational buildings
- (iii) Public utility buildings
- (iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

- (v) Health institutions.
- (vi) Cinemas
- (vii) Commercial and professional offices.
- (viii) Retail shops, dhabas and restaurants.
- (ix) Local service industries.
- (x) Fuel stations.
- (xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.
- (xii) Nurseries and green houses.
- (xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use
- (xiv) Starred hotels
- (xv) Clubs/Community Centres
- (xvi) Communication Towers
- (xvii) Guest/Boarding Houses
- (xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone

- (i) Retail Trade.
- (ii) Wholesale Trade.
- (iii) Warehouses and storages.
- (iv) Commercial offices and banks.
- (v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc
- (vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.
- (vii) Professional establishments.
- (viii) Residences on the first and higher floors.
- (ix) Local service industry.
- (x) Public utility buildings.
- (xi) Fuel stations and service garages.
- (xii) Loading and unloading yards.
- (xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.
- (xiv) Town parks.
- (xv) Communication Towers
- (xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide

III. Industrial zone

- (i) Light industry
- (ii) Medium industry
- (iii) Obnoxious and Hazardous Industry
- (iv) Heavy industry
- (v) Service industry
- (vi) Warehouse and storages
- (vii) Parking, loading and unloading area
- (viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

Serial	Name of		ea	Number	Commercial	Maximum	Floor Area	Approach
Number	Facility	Minimum	Maximum	of facilities in a sector	component	Ground Coverage	Ratio	Road
1	Dhabas	500 sq. m.	1000 sq. m.	2	50 sqm	40 %	0.40	Minimum 18 metres
2	Restaurants	1000 sq. m.	2000 sq.m.	2	10 %	30 %	1.50	Minimum 18 metres
3	Two/ Three Star Hotels	1.0 Acre	2.5 Acres	2	15 %	30 %	As per commercial policy	Minimum 24 metres
4	Five Star Hotels	2.5 Acres	4.0 Acres	1	15 %	30 %	As per commercial policy	Sector Dividing Road with the provision of a service road

- (x) Fuel stations and service garages.
- (xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director.
- (xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units
- (xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:-

Serial	Name of	Area		Number	Residential	Maximum	Floor area
Number	facility	Minimum	Maximum	of facilities in a sector	component	ground coverage	ratio
1	Hospital	2.5 Acres	5.0 Acres	1	15 %	33 %	1.00
2	Dispensary	1.0 Acre	1.5 Acres	1	15 %	33 %	1.00
3	Nursing Home	250 sq. m	500 sq. m	2	Nil	60 %	1.00
4	Clinic	250 sq. m	500 sq. m	2	Nil	60 %	1.00

- (xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.
- (xv) Communication Towers
- (xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants
- (xvii) Weighing Bridge
- (xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Serial	Name of	Area	(in acres)	Commercial	Maximum	Floor	Approach	Height
Number	facility	Minimum	Maximum	component	ground	Area	Road	
					coverage	Ratio		
1	Service	0.5	1	Nil	60%	1.25	Minimum 18	18 metres
	Garage						metres or	
							service road	
							along sector	
							road	
2	Sale/	0.5	2	10% of	60%	1.25	Minimum 18	18 metres
	Display			permissible			metres or	
	Centre-			Floor Area			service road	
	cum-			Ratio			along sector	
	service						road	
	garage							

- Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;
 - * Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.
- (xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

- (i) Railway yards, railway station and siding
- (ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas
- (iii) Airports and Air Stations
- (iv) Telephone exchange
- (v) Broadcasting Stations
- (vi) Televisions Station
- (vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places
- (viii) Fuel stations and service garages
- (ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands
- (x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station
- (xi) Weighing Bridge
- (xii) Communication Tower.
- (xiii) Warehouses upto a maximum limit of 5% of the total area of the sector.
- (xiv) Dhabas, as per prevailing Policy.

VI. Public Utilities

- (i) Water supply installations including treatment plants.
- (ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and Disposal works.
- (iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.
- (iv) Gas installations and Gas works.
- (v) Solid Waste Management Sites

VII. Public and semi public uses zone

- (i) Government offices Government Administration centers, secretariats and police station
- (ii) Educational, cultural and religious institutions
- (iii) Medical health institutions
- (iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non-commercial nature
- (v) Land belonging to Defence
- (vi) Dhabas, Restaurants as under: -

Serial	Name of	Area		Number of	Commercial	Maximum	Floor Area
Number	Facility	Minimum	Maximum	facilities in	component	Ground	Ratio
				a sector		Coverage	
1	Dhabas	500 sq.	1000 sq.	2	50 sq. m.	50 %	50%
		mtrs.	mtrs.				
2	Restaurants	1000 sq.	2000 sq. mtrs.	2	10 %	30 %	150%
		mtrs.					

- (vii) Communication Towers
- (viii) Fuel Stations
- (ix) Any other use, which the Government may in public interest decide

VIII. Open spaces

- (i) Sports ground, stadium and play grounds
- (ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses
- (iii) Cemeteries, crematories etc.
- (iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

- (v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.
- (vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.
- (vii) Communication Towers
- (viii) Mela Ground, Multipurpose ground
- (ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

IX. Uses strictly prohibited

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

X. Agriculture zone

- (i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.
- (ii) Village houses within Abadi-deh
- (iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX
- (iv) Afforestation development of any of the part for recreation
- (v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.
- (vi) Milk chilling station and pasteurisation plant
- (vii) Bus Stand and railway station
- (viii) Air ports with necessary buildings
- (ix) Wireless stations
- (x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director
- (xi) Weather stations
- (xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation
- (xiii) Telephone and electric transmission lines and poles
- (xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site
- (xv) Cremation and burial grounds
- (xvi) Fuel station and service garages
- (xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.
- (xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director
- (xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

A. Siting norms					
Zone	Norms	Norms			
Low potential zone	Within 2 kms. from Urbanisable Zone (excluding the peripheral roads, if proposed along urbansiable boundary)	Beyond 2 kms. from Urbanisable Zone (excluding the peripheral roads, if proposed along urbansiable boundary)			
	Non-polluting green, category units of any area	Green and orange category units of any area			
B. Approach norm	S				
Medium & Low Potential zone					

- (xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.
- (xxi) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway / Scheduled Roads in the area outside restricted/ green belt as under:-

Serial Number	Permissible Activity	Are	a	Commercial	Maximum Ground	Floor Area Ratio
		Minimum	Maximum	Component	Coverage	
1	Dhabas	1000 sq. metres	1 acre	50 Sqmt.	40%	40%
2	Restaurant	2000 sq. metres	1 acre	15%	30%	150%
3	Motel with banquet facilities	2.5 acres	5 acres	15%	30%	150%
4	Resort	4 acres	10 acres	15%	30%	150%
5	Amusement Park/Theme Park	2.5 acres	10 acres	15%	30%	50%

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

(xxii) Banquet Hall:

Permissible Zone	Agriculture				
Approach	1. Minimum width of the approach road must be 18 metres.				
	2. The access permission is required from XEN, PWD (B&R) if the site is located on scheduled road.				
	3. Approach from National Highways can be considered, if the site fulfills minimum distance norms from intersection/access and is located on minimum 7 meters wide service road or the applicant submits prior permission of access from NHAI.				
Area required	Minimum area :- 2.5 acre				
	Maximum area :- 5.0 acres				
FAR	0.5				
Ground Coverage	30%				
Conversion Charges	50% of the rates prescribed for commercial use				
Permissible Ancillary uses within FAR	10% of the allowed FAR for Gift shop, STD Booth, Toy Centers and flowers shops etc.				
Parking	Minimum 25% of the site area				

Note: The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

- (xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres
- (xxiv) Communication Towers
- (xxv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.
- (xxvi) Weighing Bridge

(xxvii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:-

Serial	Name of	Area (in acres)		Commercial	Maximum	Floor	Approach	Height
Number	facility	Minimum	Maximum	component	ground	Area	Road	
					coverage	Ratio		
1	Service	0.5	1	Nil	60%	1.25	Minimum	18
	Garage						18 metres	metres
							or service	
							road along	
							sector	
							road	
2	Sale/Display	0.5	2	10% of	60%	1.25	Minimum	18
	Centre-cum-			permissible			18 metres	metres
	service			Floor Area			or service	
	garage			Ratio			road along	
							sector	
							road	

Note:

- * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;
- * Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decide.

APPENDIX-1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

- Delivered outside India.
- Delivered over communication network., and
- Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

- 1. Remote production/manufacturing units
- 2. The Corporate offices of companies or their local branches
- 3. Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

- (i) Back-Office Operations
- (ii) Call Centres
- (iii) Content Development or Animation
- (iv) Data Processing
- (v) Engineering and Design
- (vi) Geographic Information System Services
- (vii) Human Resource Services
- (viii) Insurance Claim Processing
- (ix) Legal Database
- (x) Medical Transcription
- (xi) Payroll
- (xii) Remote Maintenance
- (xiii) Revenue Accounting
- (xiv) Supports Centres and
- (xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

